



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1302]
No. 1302]नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 31, 2006/कार्तिक 9, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2006/KARTIKA 9, 1928गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1861(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा 30 अक्टूबर, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस दिन को उक्त अधिनियम की धारा 7, 9, 11, 12, 13, 35, 36, 37, 42, 43, 49, 50, 70 की उप-धारा (1) एवं धारा 76 प्रवृत्त होंगी।

[फा. सं. 30/1/2006-एनडीएम-III(ए)]

प्रभांशु कमल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2006

S.O. 1861(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby appoints the 30th day of October, 2006 as the date on which the provisions of Sections 7, 9, 11, 12, 13, 35, 36, 37, 42, 43, 49, 50, Sub-section (1) of Section 70 and Section 76 of the said Act shall come into force.

[F. No. 30/1/2006-NDM-III(A)]

PRABHANSHU KAMAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1862(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 42 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा 30 अक्टूबर, 2006 से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन करती है।

[फा. सं. 30/1/2006-एनडीएम-III(ए)]

प्रभांशु कमल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2006

S.O. 1862(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 42 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby constitutes the National Institute of Disaster Management with effect from the 30th day of October, 2006.

[F. No. 30/1/2006-NDM-III(A)]

PRABHANSHU KAMAL, Jt. Secy.